

प्रैक्टिकल फ़ाइल के संबंध में नियम

विषय **अभिवचन व अभिहस्तान्तरण का प्रारूपण (K-५00५)** की प्रैक्टिकल फ़ाइल के संबंध में छात्रों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल फ़ाइल को इसके साथ प्रदान की गई सामग्री (सूचकांक) और निर्देश की सूची के अनुसार सख्ती से तैयार किया जाना है।

फ़ाइल तैयार करने के नियम एवं निर्देश:

- फाइल प्रत्येक छात्र को **केवल अपनी लिखावट** में ही तैयार करनी होगी।
- आपके तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में फ़ाइल में **४० अंक होंगे और वाइवा में १० अंक (कुल ५०)** होंगे।
- फ़ाइल **A4 आकार के कागज पर (केवल एक तरफ)** बिना बॉर्डर के उचित दूरी के साथ तैयार की जाएगी, लेकिन मार्जिन कागज के बाईं ओर (१.0") और दाईं ओर (0. ५") पर सेट किया जाएगा। कागज़ सादा होना चाहिए (लाइनों या ड्राइंग पेपर वाले पृष्ठों की अनुमति नहीं है)
- पृष्ठ के पीछे की ओर कोई लेखन नहीं होगा।
- छात्र प्रैक्टिकल फाइल लिखने के लिए केवल काले एवं नीले रंग के बॉल पेन का उपयोग करेंगे।
- कवर पेज चमकदार कागज पर रंगीन मुद्रित किया जाएगा।
- पूरी फाइल **१५ सितम्बर २०२४** तक निरीक्षण और जांच के लिए विषय शिक्षक को बिना किसी स्पाइरल के प्रस्तुत की जाएगी। किसी भी कारण से उपरोक्त तिथि के बाद किसी भी फाइल का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

नोट- छात्रों को उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर या उससे पहले पूरी फाइल जमा करने का सुझाव दिया जाता है। जांच के बाद सुधार की अनुमति दी जा सकती है लेकिन किसी को भी लंबित या शेष कार्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो पहली प्रस्तुति के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जो छात्र-छात्राएं उपर्युक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहेंगे वे आगे के परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।



मॉडर्न कॉलेज ऑफ लॉ, गाजियाबाद

(चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुमोदित और
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

अभिवचन व् अभिहस्तान्तरण का प्रारूपण

एलएल.बी. की एक प्रैक्टिकल फाइल
पंचम सेमेस्टर
(के-५००५)
सत्र (२०२४ -२५)

श्री मोहित कुमार
सहायक प्रोफेसर
एमसीएल, सीसीएसयू मेरठ
को प्रस्तुत किया गया

नाम
पिता का नाम.....
अनुक्रमांक संख्या
नामांकन संख्या.....
के द्वारा प्रस्तुत किया गया

टिप्पणी..... |

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

अभिस्वीकृति

मैं अपने विषय के संकाय प्रभारी श्री मोहित कुमार और हमारे विभागाध्यक्ष श्री अंकुर गुप्ता और प्रिंसिपल प्रो० (डॉ.) निशा सिंह को विशेष धन्यवाद देना चाहता/चाहती हूं जिन्होंने मुझे यह अद्भुत काम करने का सुनहरा अवसर दिया। अपनी प्रैक्टिकल फाइल को निष्पादित करने में, मैं विभिन्न तरीकों से मेरी मदद करने के लिए सभी संकाय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता/चाहती हूं। मैं उन सभी के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता/चाहती हूं जिन्होंने प्रैक्टिकल फ़ाइल लिखने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं सहपाठियों और टीम के सदस्यों के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता/करती हूं जिन्होंने बहुमूल्य टिप्पणियाँ और सुझाव दिए जिससे मुझे अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल को बेहतर बनाने में मदद मिली।



तिथि

हस्ताक्षर

Since: 2003

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	शिक्षक के हस्ताक्षर
	भाग-अ (सिविल विधि)		
१)	<p>क) अभिवचन के मूलभूत नियमों पर विस्तार से चर्चा करें।</p> <p>ख) अभिवचन में संशोधन से आपका क्या अभिप्राय है?</p> <p>i.) न्यायालय द्वारा दी गई अभिवचन में संशोधन के कई सिद्धांतों को संक्षेप में बताएं।</p> <p>ii.) किन परिस्थितियों में न्यायालय अभिवचन में संशोधन की अनुमति देने से इंकार कर सकता है?</p>		
२)	<p>क) परमादेश रिट के मुद्दों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका का मसौदा तैयार करें।</p> <p>ख) बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के मुद्दों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका का मसौदा तैयार करें।</p>		
३)	<p>क) क्रूरता के आधार पर पति के विरुद्ध विवाह-विच्छेद हेतु शपथपत्र के साथ एक याचिका का मसौदा तैयार करें।</p> <p>ख) शपथ पत्र के साथ पति की ओर से उपरोक्त याचिका के लिखित कथन का मसौदा तैयार करें।</p>		
४)	<p>क) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा-80 के अंतर्गत नोटिस का प्रारूप तैयार करें।</p> <p>ख) 60,000/- रुपए के बकाया किराए के आधार पर किरायेदार को बेदखल करने के लिए कानूनी नोटिस का प्रारूप तैयार करें, किराया 20,000/- प्रतिमाह है।</p> <p>ग) 60,000/- रुपए के बकाया किराए और किरायेदार को बेदखल करने के लिए मुकदमा तैयार करें, किराया 20,000/- प्रतिमाह है।</p>		
५)	<p>क) ऊनी कपड़ों के कारखाने में कच्चा माल आपूर्ति करने के अनुबंध के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति के लिए एक शिकायत पत्र का मसौदा तैयार करें, साथ ही प्रतिवादी की ओर से एक लिखित बयान का मसौदा भी तैयार करें।</p>		
६)	<p>क) वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान नियम 2018) के तहत प्री-ट्रैल मध्यस्थता के लिए एक आवेदन का मसौदा तैयार करें।</p> <p>ख) आदेश 39 नियम 1/2, सीपीसी, 1908 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन का मसौदा तैयार करें।</p>		
७)	<p>क) विक्रय समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद में वादपत्र एवं लिखित बयान का मसौदा तैयार करना।</p>		
८)	<p>क) अपील ज्ञापन कैसे तैयार किया जाता है, संक्षेप में बताएं?</p> <p>ख) प्रथम और द्वितीय अपील का प्रारूप तैयार करें।</p>		

क्र.सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक	शिक्षक के हस्ताक्षर
	भाग-ब (आपराधिक विधि)		
९)	क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 201 के तहत एक शिकायत की सामग्री को संक्षेप में स्पष्ट करें और इसके अलावा गाजियाबाद जिला न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(सी) और 13(1)(डी) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित एक शिकायत तैयार करें।		
१०)	क) पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की ओर से पति के खिलाफ भरण-पोषण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-144 के तहत याचिका का मसौदा तैयार करें। ख) 3,00,000/- की राशि के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत का मसौदा तैयार करें।		
११)	क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 530 के अंतर्गत गैर-जमानती मामलों में अंतरिम जमानत देने के लिए आवेदन का प्रारूप तैयार करें। ख) बी ने 23.02.2024 को पुलिस स्टेशन मोहन नगर, गाजियाबाद में 'ए' के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 'ए' ने हिंडन मेट्रो स्टेशन से 'बी' की कार चुराई है। इस कारण पुलिस 'ए' की गिरफ्तारी की तलाश में है। 'ए' की ओर से अग्रिम जमानत का प्रारूप तैयार करें।		
१२)	क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए आवेदन का मसौदा तैयार करें।		
	भाग-स (अभिहस्तांतरण)		
१३)	क) अभिहस्तांतरण को परिभाषित करें ख) निम्नलिखित का एक विलेख तैयार करें: क) अचल संपत्ति का विक्रय विलेख। ख) वसीयत विलेख। ग) दान विलेख। घ) साधा बंधक विलेख। ङ) अचल संपत्ति का त्याग विलेख। च) विधवा द्वारा गोद लेने का विलेख। छ) भागीदारी विलेख। ज) सामान्य अधिकार पत्र। झ) विशेष अधिकार पत्र। ञ) किराया का अनुबंध। क) किराया रसीद। ठ) वचन पत्र		

भाग-अ (सिविल विधि)



Since: 2003

भाग-ब
(आपराधिक विधि)

भाग-स (अभिहस्तांतरण)



Since: 2003